प्रेस विज्ञप्ति

यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर दिनांकः—16.03.2025

185 एमवीएक्ट एवं मॉडीफाईड साईलेन्सर चैकिंग अभियान

श्रीमान राजेन्द्रसिंह, पुलिस आयुक्त जोधपुर, निर्देशानुसार, श्री अमित जैन, पुलिस उपायुक्त यातायात एवं मुख्यालय जोधपुर के सुपरविजन के निर्देशों की पालना में यातायात पुलिस द्वारा **185 एमवीएक्ट एवं मॉडीफाईड साईलेन्सर** वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु सघन जॉच अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के सम्पूर्ण क्षैत्राधिकार में बढती हुई सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने व यातायात नियमो का उल्लघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान दिनांक (09—03—2025 से 15—03—2025 तक) द्वारा मॉडीफाईड साईलेन्सर के खिलाफ 101 चालान कार्यवाही एवं होली के त्यौहार के मध्यनजर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्व दो दिवसीय विशेष अभियान चलाकर दिनांक (13.03.2025 व 14.03.2025 तक) 185 एमवीएक्ट में 189 चालान कार्यवाही की गई।

यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा 185 एमवीएक्ट एवं मॉडीफाईड साईलेन्सर के खिलाफ कुल 290 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार चालान कार्यवाही की गई हैं। अगामी दिनों में भी विशेष अभियान चलाकर इन शीर्षकों में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रहेगी।

यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा आमजन से अपील की जाती हैं कि अपने वाहनों में मॉडीफाईड साईलेन्सर, बंपर नही लगाये साथ ही नम्बर प्लेट के उपर जैसेः—स्लोगन, नाम पदनाम व जाति इत्यादि नही लिखे। यातायात नियमों की पालना करते हुए वाहन चलाये व सुरक्षित रहें। ताकि जांच के दौरान लगने वाला समय और असुविधाओ से बच सके एवं स्वयं की सुरक्षा और अमुल्य जीवन के लिए यह अति आवश्यक है ।

सदैव आपकी सेवामें — यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर
यातायात नियमों का पालन करें — अनावश्यक परेशानी से बचे।

(दुर्गाराम चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
यातायात, जोधपुर